न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 110/2018

जी0सी0एम0एस0 :–2021/31

1.उमराम पुत्र बीरबल जाति मीणा निवासी ग्राम मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रार्थी

बनाम

1.भोपालराम पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
2.चंदगीराम पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
3.महेन्द्र पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
4.कमली स्त्री जगदीश जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
5.रामसिंह पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
6.प्रताप पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
7.रामजीलाल पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
8.कतरतार पुत्र लिछमण जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
9.कजोड़ पुत्र लिछमण जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
10.मोती पुत्र लिछमण जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
11.नानड़ी पत्नी लिछमण जाति मीणा निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
12.सायर पुत्र फुलाराम जाति मीणा निवासी ढीली कालोनी रेल्वे पुल के पास हनुमानगढ जंक्शन।
13.महेन्द्र पुत्र फुलाराम जाति मीणा निवासी ढीली कालोनी रेल्वे पुल के पास हनुमानगढ जंक्शन।
14.राजू पुत्र फुलाराम जाति मीणा निवासी ढीली कालोनी रेल्वे पुल के पास हनुमानगढ जंक्शन।
15.रामोदवी स्त्री फुलाराम जाति मीणा निवासी ढीली कालोनी रेल्वे पुल के पास हनुमानगढ जंक्शन।
16. कुरड़ाराम पुत्र कालू जाति जाट निवासी मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
17.तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

अप्रार्थीगण...

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 19.08.2021

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का की मैनपुरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 49, 50 अवस्थित है, जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 45 में से होकर आवागमन करता है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए, बी, सी, से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता काटाणशुदा रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थी के पूर्वज सैकड़ों वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। बिन्दु ए से बी की भूमि अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

संख्या 1 लगायत 15 की सहखातेदारी की भूमि है तथा बिन्दु बी से सी की कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 16 की खातेदारी भूमि है। उक्त रास्ता सी से डी आगे के खेतों तक जाता है। उक्त रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण की स्वीकृति रही है लेकिन उक्त रास्ता कटाणशुदा नहीं होने से सदैव रास्ता बंद होने का भय बना रहता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युन्तम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के आलावा प्रार्थी की भूमि में कोई वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता कोई नही लगता है तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है।

अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा में स्थित अपनी कब्जाकाश्त एव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49 व 50 में आवागमन हेतु ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 45, 46 में से सलंग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से बिन्दु ए से सी तक दर्शाए गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 12. 13. 14. 15 स्वयं हाजिर आए तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर इस बाबत् किये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई एतराज आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 7, 11, 17 बावजूद तामील हाजीर नहीं अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1, 5, 6, 8, 9, 10, 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 45 के काबिज काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया है। पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये चाहा गया रास्ता मौका पर चालू नहीं हैं तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा न्युन्तम दुरी पर अन्य रास्ता मौजूद हैं, जो कि भूमि खसरा नम्बर 44 में मौजूद है। जबाबदेहन्दा के भूमि खसरा नम्बर में 46 में किसी प्रकार की कोई पगडण्डी पूर्व से मौजूद नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है, नजरी नक्शा में बिन्दु ए से सी तक दर्शाए गये रास्ता में कोई भी पगडण्डी चालु नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है, प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा न्युनतम दुरी पर अन्य रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5, 6 कानूनी है। अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with CamScanner

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का की मैनपुरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 49, 50 अवस्थित है, जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 45 में से होकर आवागमन करता है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए, बी, सी, से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कटाणशुदा रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थी के पूर्वज सैकड़ों वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त चाहा गया रास्ता मौका पर पगडण्डी के तौर पर चालु है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युन्तम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के आलावा प्रार्थी की भूमि में कोई वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता कोई नही लगता है तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है। अतः प्रार्थी की ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा में स्थित कब्जाकाश्त एव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49 व 50 में आवागमन हेतु ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 45, 46 में से सलंग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से बिन्दु ए से सी तक दर्शाए गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण संख्या 1, 5, 6, 8, 9, 10, 16 ने प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए से सी तक प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्युनतम दुरी पर अन्य रास्ता मौजूद है जो कि भूमि खसरा नम्बर 44 में से है। प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 45 में से रास्ता चाहा गया है लेकिन भूमि खसरा नम्बर 45 के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया हैं। अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 8, 9, 10, 16 द्वारा कथित कथनों की पुष्टि तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिर्पोट से होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

रिबुटल में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1, 5, 6, 8, 9, 10, 16 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 44 में से न्युनतम रास्ता होने का कथन किया है लेकिन भूमि खसरा नम्बर 44 में उंचा टीबा है, जिस पर रास्ता कायम किया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त मौका जांच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान वकलाय की बहस प

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा की सरहद में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49, 50 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 45, 46 में से रास्ता चाहा था। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु ए से सी दर्शाया गया है। पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त फर्द मौका के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 45, 46 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 45, 46 में से चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दुरी का मौजूद है। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 02.08.2021 को प्राप्त मौका जांच रिर्पोट के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की मुख्य रास्ते से दुरी 164 मीटर है जबकि वैकल्पिक रास्ता जो कि भूमि खसरा नम्बर 44 में से है, कि मुख्य रास्ते से दुरी 140 मीटर है। पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि भूमि खसरा नम्बर 45 के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner